महानिदेशक, स्कूल शिक्षा
एवं
राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय
समग्र शिक्षा, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ –226007
वेब-साइटः www.basiceducation.up.gov.in, ई-मेलः upefaspo@gmail.com दूरभाषः 0522-4024440, 2780384, 2781128

समग्र शिक्षा Samagra Shiksha

सेवा में,

1—उप शिक्षा निदेशक/प्राचार्य,
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान।

2—जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक :प्री—प्राइमरी/बाल मेला/ 5657 /2025-26 दिनांकः 13/11/2025

विषय : पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत समस्त को—लोकेटेड आंगनबाडी केन्द्रों में "बाल मेला" कार्यक्रम आयोजित किये जाने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा और विकास में परिवार और समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अभिभावक और समुदाय का आंगनबाड़ी केंद्र के साथ संवाद और सहयोग बच्चे के सीखने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और समृद्ध बनाता है। समुदाय की सक्रिय सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रकार के सुझाव दिए गए हैं, जिसमें बाल मेला जैसे कार्यक्रमों का आयोजन शामिल है । राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा—बुनियादी शिक्षा 2022 के अनुसार, अभिभावक और शिक्षक के बीच सतत संवाद न केवल बच्चे की शैक्षिक यात्रा को बेहतर बनाता है, बल्कि बच्चे के समग्र विकास में भी योगदान देता है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में दिनांक **14 नवंबर 2025** को राज्य के सभी को—लोकेटेड आंगनबाड़ी केन्द्रों में ''बाल मेले'' का आयोजन कराया जाना है। इस सम्बन्ध में विवरण एवं निर्देश निम्नवत् हैं—

बाल मेला आयोजित किये जाने के उद्देश्यः—

बाल मेला के माध्यम से 3 से 6 वर्ष के बच्चों को एक ऐसा मंच प्रदान किया जाएगा जिसमें आयोजित की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से उनकी रचनात्मकता और सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करना है। बाल मेला के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है —

1. स्थानीय कला, संस्कृति, और परिवेश से जुड़ी गतिविधियों के माध्यम से बच्चों की रचनात्मकता और सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करना ।
2. अभिभावकों और समुदाय की शैक्षिक प्रक्रिया में भागीदारी को प्रोत्साहित करना ।
3. खेल और गतिविधियों के माध्यम से औपचारिक शिक्षा के प्रति बच्चों और अभिभावकों की रुचि को बढ़ाना ।
4. बच्चों के विकास, उनकी रुचियों, पसंद—नापसंद और आवश्यकताओं आदि के बारे में जनसामान्य को जागरूक करना ।

कार्यक्रम की रूपरेखाः—

बाल मेले का आयोजन **दिनांक 14 नवम्बर 2025 को प्रत्येक को—लोकेटेड आँगनबाड़ी केंद्र** में किया जाएगा। कार्यक्रम का नेतृत्व संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक, नोडल शिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं ईसीसीई एजुकेटर द्वारा मिलकर किया जाएगा । कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में सभी बच्चों के अभिभावकों, ग्राम प्रधान/पार्षद, विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों एवं स्थानीय समुदाय के लोगों को पहले से ही आमंत्रित किया जाएगा एवं उनकी

Note: This document is only for the knowledge and bonafide use of the Department of Basic Education, UP Government. Any sharing, publication or reproduction of this document in print or digital form or communication of its contents in any other form by any unconcerned person, body, institute or third party without prior information and approval of the competent authority will be illegal & void ab initio and appropriate action shall be taken against him in accordance with relevant rules & regulations.

उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। कार्यक्रम का विस्तृत विवरण निम्नवत् है—

कार्यक्रम	विवरण	उत्तरदायित्व
शुभारम्भ/स्वागत	○ सभी अतिथि, अभिभावकों एवं प्रतिभागियों का स्वागत ○ बाल मेले के आयोजन के उद्देश्य के बारे में संक्षिप्त चर्चा	प्रधानाध्यापक व नोडल शिक्षक द्वारा
बाल प्रतियोगिता	प्रमुख गतिविधियां ○ गेंद से बोतल पर निशाना लगाना, ○ नींबू दौड़ लगाना, ○ मेढ़क/खरगोश रेस ○ धागे पर लटकी टॉफी उचक कर खाना ○ समूह गान ○ समूह नृत्य/नाटिका आदि। सुविधानुसार कुछ परिवेशीय गतिविधियां जोड़ी जा सकती हैं । ध्यान दें की उपरोक्त में से कम से कम दो गतिविधियाँ अवश्य करायी जाएं।	नोडल अध्यापक, आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं ईसीसीई एजुकेटर द्वारा अभिभावकों के साथ मिलकर
बच्चों द्वारा अभिभावकों के सम्मुख प्रदर्शन	प्रमुख गतिविधियां ○ कविता/कहानी सुनाना ○ वस्तुओं को छोटे से बड़े के क्रम में जमा कर दिखाना ○ अलग—अलग आकृतियों को छांटना एवं चित्र को जोड़ना ○ जमीन पर बिछाई गई रस्सी पर चलना इत्यादि। सुविधानुसार कुछ परिवेशीय गतिविधियां जोड़ी जा सकती हैं । ध्यान दें की उपरोक्त में से कम से कम दो गतिविधियाँ अवश्य करायी जाएं। समस्त उपस्थित बच्चों की प्रतिभागिता सुनिश्चित की जाए।	आंगनबाड़ी कार्यकत्री की मदद से बच्चों द्वारा
बच्चों एवं अभिभावकों के साथ संयुक्त खेल/प्रतियोगिता	प्रमुख गतिविधियां – ○ चित्र बनाना एव चित्र में रंग भरवाना ○ मिट्टी से खिलौने बनवाना, ○ चित्र में रंगीन कागज के टुकड़े चिपकाना एवं विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनना। ○ कला प्रतियोगिता करवाना। ○ थैल मे क्या? ○ म्यूजिकल चेयर ○ टंग ट्विस्टर ○ भूलभूलैया सुविधानुसार कुछ परिवेशीय गतिविधियां जोड़ी जा सकती हैं । ध्यान दें की उपरोक्त में से कम से कम दो गतिविधियाँ अवश्य करायी जाएं।	नोडल अध्यापक, आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं ईसीसीई एजुकेटर द्वारा अभिभावकों के साथ मिलकर
पुरस्कार वितरण एवं जलपान	○ कार्यक्रम में सम्मिलित सभी बच्चों को स्टेशनरी सामग्री जैसे पेंसिल बॉक्स, क्रेयान, ड्राइंग कॉपी आदि। ○ को—लोकेटेड आंगनबाड़ी केन्द्र/बालवाटिका में नियमित उपस्थिति देने वाले बच्चों एवं उनके अभिभावकों को सम्मानित किये जाए। उक्त हेतु स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पौधे आदि स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट किये जाएं। उक्त से अन्य अभिभावक प्रोत्साहित होकर अपने बच्चों को नियमित रूप से आंगनबाडी केन्द्र/बालवाटिका में भेजेंगे। ○ जलपान एवं फल वितरण।	नोडल अध्यापक, आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं ईसीसीई एजुकेटर द्वारा
समापन	धन्यवाद ज्ञापन	

सामान्य निर्देश:—

- उक्त कार्यक्रम दी गयी समय सारिणी के अनुसार आयोजित किया जाये।
- उक्त कार्यक्रम बेसिक शिक्षा विभाग के नेतृत्व में बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग से सहयोग प्राप्त करते हुए संचालित किया जाएं।
- ''बाल मेला'' कार्यक्रम में उपस्थित समस्त सदस्यों हेतु जलपान/भोजन की व्यवस्था सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए की जाये।

वित्तीय आवंटन एवं उपभोगः—

- शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित प्रति को—लोकेटेड आंगनबाडी केन्द्र हेतु रू० 1500/— की दर से 53074 को—लोकेटेड आंगनबाडी केन्द्र युक्त विद्यालयों के विद्यालय प्रबंध समिति के खाते में धनराशि अंतरण हेतु कुल रू० 796.11000 लाख की धनराशि की लिमिट (जनपदवार संलग्न विवरण के अनुसार) जारी की जाएगी। धनराशि का अंतरण राज्य परियोजना कार्यालय से लिमिट जारी होने के बाद दो दिवस के अंदर एस०एम०सी० में अंतरित करना सुनिश्चित करें।
- उक्त धनराशि में **''बाल मेला''** कार्यक्रम के आयोजन हेतु आवश्यक सामग्री, बैनर, जलपान, पुरस्कार आदि की व्यवस्था की जाये। प्रति विद्यालय निर्धारित धनराशि रू० 1500/- अधिकतम सीमा है तथा सीमा तक ही व्यय अनुमन्य होगा।
- कार्यक्रम से संबंधित फोटोग्रफ/एक मिनट की वीडियो क्लिप प्री—प्राइमरी यूनिट को ई—मेल (preprimarycellup01@gmail.com) के माध्यम से उपलब्ध करायी जाए।

कृपया उपरोक्तानुसार निर्देशों का अनुपालन करते हुए निर्धारित तिथि एवं समयसारिणी के अनुसार **"बाल मेला'' कार्यक्रम** का आयोजन कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः— उक्तवत्।

भवदीया

(मोनिका रानी)
राज्य परियोजना निदेशक,
समग्र शिक्षा, उ०प्र०।

पृष्ठांकन संख्याः—प्री—प्राइमरी शिक्षा/बाल मेला/ 5657 /2025-26 लखनऊ, तद्दिनॉक।

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा, उ०प्र० शासन।
2- अपर मुख्य सचिव, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ०प्र० शासन।
3- निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग, उ०प्र०।
4- जिलाधिकारी, समस्त जनपद, उ०प्र०।
5- मुख्य विकास अधिकारी, समस्त जनपद, उ०प्र०।
6- शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ०प्र०।
7- निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उ०प्र०।
8- मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), समस्त मण्डल, उ०प्र०।
9- जिला कार्यक्रम अधिकारी, समस्त जनपद, उ०प्र०।
10- सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी, समस्त जनपद, उ०प्र०।
11- जिला समन्वयक प्रशिक्षण एवं नोडल एस०आर०जी०, समस्त जनपद, उ०प्र०।
12- खण्ड शिक्षा अधिकारी, समस्त विकास खण्ड, उ०प्र०।

(मोनिका रानी)
राज्य परियोजना निदेशक,
समग्र शिक्षा, उ०प्र०।

वित्तीय आवंटन एवं उपभोगः—

- शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित प्रति को—लोकेटेड आंगनबाडी केन्द्र हेतु रू० 1500/— की दर से 53074 को—लोकेटेड आंगनबाडी केन्द्र युक्त विद्यालयों के विद्यालय प्रबंध समिति के खाते में धनराशि अंतरण हेतु कुल रू० 796.11000 लाख की धनराशि की लिमिट (जनपदवार संलग्न विवरण के अनुसार) जारी की जाएगी। धनराशि का अंतरण राज्य परियोजना कार्यालय से लिमिट जारी होने के बाद दो दिवस के अंदर एस०एम०सी० में अंतरित करना सुनिश्चित करें।
- उक्त धनराशि में **''बाल मेला''** कार्यक्रम के आयोजन हेतु आवश्यक सामग्री, बैनर, जलपान, पुरस्कार आदि की व्यवस्था की जाये। प्रति विद्यालय निर्धारित धनराशि रू० 1500/- अधिकतम सीमा है तथा सीमा तक ही व्यय अनुमन्य होगा।
- कार्यक्रम से संबंधित फोटोग्रफ/एक मिनट की वीडियो क्लिप प्री—प्राइमरी यूनिट को ई—मेल (preprimarycellup01@gmail.com) के माध्यम से उपलब्ध करायी जाए।

कृपया उपरोक्तानुसार निर्देशों का अनुपालन करते हुए निर्धारित तिथि एवं समयसारिणी के अनुसार **"बाल मेला'' कार्यक्रम** का आयोजन कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः— उक्तवत्।

भवदीया

(मोनिका रानी)
राज्य परियोजना निदेशक,
समग्र शिक्षा, उ०प्र०।

पृष्ठांकन संख्याः—प्री—प्राइमरी शिक्षा/बाल मेला/ /2025-26 लखनऊ, तद्दिनॉक।

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा, उ०प्र० शासन।
2- अपर मुख्य सचिव, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ०प्र० शासन।
3- निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग, उ०प्र०।
4- जिलाधिकारी, समस्त जनपद, उ०प्र०।
5- मुख्य विकास अधिकारी, समस्त जनपद, उ०प्र०।
6- शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ०प्र०।
7- निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उ०प्र०।
8- मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), समस्त मण्डल, उ०प्र०।
9- जिला कार्यक्रम अधिकारी, समस्त जनपद, उ०प्र०।
10- सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी, समस्त जनपद, उ०प्र०।
11- जिला समन्वयक प्रशिक्षण एवं नोडल एस०आर०जी०, समस्त जनपद, उ०प्र०।
12- खण्ड शिक्षा अधिकारी, समस्त विकास खण्ड, उ०प्र०।

(मोनिका रानी)
राज्य परियोजना निदेशक,
समग्र शिक्षा, उ०प्र०।

Pre Primary Education, Samagra Shiksha, UP

Bal Mela 2025-26 Budget

SR	Disrtict	Physcial/School	Unit Cost (In Lakh)	Financial (In Lakh)
1	AGRA	909	0.01500	13.63500
2	ALIGARH	946	0.01500	14.19000
3	AMBEDKAR NAGAR	867	0.01500	13.00500
4	AMETHI	717	0.01500	10.75500
5	AURAIYA	500	0.01500	7.50000
6	AZAMGARH	1043	0.01500	15.64500
7	BAGHPAT	194	0.01500	2.91000
8	BAHRAICH	1008	0.01500	15.12000
9	BALLIA	797	0.01500	11.95500
10	BALRAMPUR	384	0.01500	5.76000
11	BANDA	554	0.01500	8.31000
12	BARABANKI	1133	0.01500	16.99500
13	BAREILLY	1007	0.01500	15.10500
14	BASTI	729	0.01500	10.93500
15	BHADOI	336	0.01500	5.04000
16	BIJNOR	1003	0.01500	15.04500
17	BUDAUN	758	0.01500	11.37000
18	BULANDSHAHR	875	0.01500	13.12500
19	CHANDAULI	483	0.01500	7.24500
20	CHITRAKOOT	339	0.01500	5.08500
21	DEORIA	992	0.01500	14.88000
22	ETAH	693	0.01500	10.39500
23	ETAWAH	686	0.01500	10.29000
24	FAIZABAD	888	0.01500	13.32000
25	FARRUKHABAD	577	0.01500	8.65500
26	FATEHPUR	903	0.01500	13.54500
27	FIROZABAD	759	0.01500	11.38500
28	GAUTAM BUDDHA NAGAR	231	0.01500	3.46500
29	GHAZIABAD	134	0.01500	2.01000
30	GHAZIPUR	997	0.01500	14.95500
31	GONDA	1231	0.01500	18.46500
32	GORAKHPUR	971	0.01500	14.56500
33	HAMIRPUR (U.P.)	428	0.01500	6.42000
34	HAPUR (PANCHSHEEL NAGAR)	214	0.01500	3.21000
35	HARDOI	1480	0.01500	22.20000
36	HATHRAS	514	0.01500	7.71000
37	JALAUN	476	0.01500	7.14000
38	JAUNPUR	1263	0.01500	18.94500
39	JHANSI	280	0.01500	4.20000
40	Jyotiba Phule Nagar (AMROHA)	513	0.01500	7.69500
41	KANNAUJ	641	0.01500	9.61500
42	KANPUR DEHAT	951	0.01500	14.26500
43	KANPUR NAGAR	699	0.01500	10.48500

Pre Primary Education, Samagra Shiksha, UP

Bal Mela 2025-26 Budget

SR	Disrtict	Physcial/School	Unit Cost (In Lakh)	Financial (In Lakh)
44	KANSHIRAM NAGAR	686	0.01500	10.29000
45	KAUSHAMBI	438	0.01500	6.57000
46	KHERI	1360	0.01500	20.40000
47	KUSHINAGAR	1259	0.01500	18.88500
48	LALITPUR	295	0.01500	4.42500
49	LUCKNOW	333	0.01500	4.99500
50	MAHARAJGANJ	787	0.01500	11.80500
51	MAHOBA	241	0.01500	3.61500
52	MAINPURI	828	0.01500	12.42000
53	MATHURA	644	0.01500	9.66000
54	MAU	418	0.01500	6.27000
55	MEERUT	388	0.01500	5.82000
56	MIRZAPUR	821	0.01500	12.31500
57	MORADABAD	549	0.01500	8.23500
58	MUZAFFARNAGAR	356	0.01500	5.34000
59	PILIBHIT	532	0.01500	7.98000
60	PRATAPGARH	864	0.01500	12.96000
61	PRAYAGRAJ	1098	0.01500	16.47000
62	RAE BARELI	970	0.01500	14.55000
63	RAMPUR	507	0.01500	7.60500
64	SAHARANPUR	772	0.01500	11.58000
65	SAMBHAL (BHIM NAGAR)	386	0.01500	5.79000
66	SANT KABIR NAGAR	401	0.01500	6.01500
67	SHAHJAHANPUR	1099	0.01500	16.48500
68	SHAMLI (PRABUDH NAGAR)	239	0.01500	3.58500
69	SHRAWASTI	304	0.01500	4.56000
70	SIDDHARTHNAGAR	566	0.01500	8.49000
71	SITAPUR	1487	0.01500	22.30500
72	SONBHADRA	694	0.01500	10.41000
73	SULTANPUR	900	0.01500	13.50000
74	UNNAO	1285	0.01500	19.27500
75	VARANASI	464	0.01500	6.96000
Total		**53074**	**0.01500**	**796.11000**

पल्लवी शुक्ला